



पत्रांक : /प.वि.वि.नि.लि./मेरठ/प्रशा0/स्था0/सहा0अभि0/2021

दिनांक :

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा निम्नांकित सहायक अभियन्ता को निगम कार्य हित में स्तम्भ-3 में उल्लिखित उसके वर्तमान तैनाती के कार्यालय/स्थान से स्थानान्तरित कर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से स्तम्भ संख्या-04 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र0 सं0	नाम/पिता का नाम/ट्रेड/जन्मतिथि/गृह जनपद/वरि0क्र0/आवंटित अभि0 सं0:	वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	नव तैनाती स्थान
1	2	3	4
1	श्री अनिल कुमार सिंह / बाबूलाल सिंह / वि0 / 15.01.1981 / मिर्जापुर / 10185 / 2020300	सहायक अभियन्ता, कार्यालय प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ। (अध्यक्ष, उ0प्र0, पा0का0लि0, लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप सं0: 2982-अ0प्र0-07/पाकालि/20-25-अ0प्र0-07/20 दिनांक 28.11.2020 के द्वारा अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता के पद पर 40% प्रोन्नति कोटा के अन्तर्गत आवंटित)	उपखण्ड अधिकारी-द्वितीय, शामली अन्तर्गत विद्युत वितरण खण्ड-1, शामली। (श्री पंकज कुमार राठौर के डिस्काम से बाहर स्थानान्तरण से रिक्त हुए पद पर)

- उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21.03.2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप है।
- उपर्युक्त अधिकारी को कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जायेगा तथा वह इस माह का वेतन नवतैनाती स्थान पर आहरित करेगा अन्यथा की स्थिति में नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह स्थानान्तरित अधिकारी को अनुपस्थिति में (In absentia) कार्यमुक्त कर दें। उनके द्वारा नव तैनाती स्थान में कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाणक कारपोरेशन/निगम मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाये।
- स्थानान्तरण प्रक्रिया के दौरान स्थानान्तरित अधिकारी को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा। यदि स्थानान्तरण अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और सम्बन्धित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।
- नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर लें कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं0-5910-गोपन/पाकालि(06)-01 दिनांक 11.06.01 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वांकन का प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित करता है।
- नियन्त्रक एवं आहरण-वितरण अधिकारी का दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर लें कि स्थानान्तरित अधिकारी द्वारा आई0डी0 व पासवर्ड का हस्तान्तरण/बन्द की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है।
- कारपोरेशन के उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप की अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक : 8542 /प.वि.वि.नि.लि./मेरठ/ तददिनांक 18.09.2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- निदेशक (तकनीकी)/का0 एवं प्रशा0/(वाणिज्य)/(वित्त), पा0वि0वि0नि0लि0, मेरठ।
- मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)/जानपद (वि0), पा0वि0वि0नि0लि0, मेरठ।
- मुख्य अभियन्ता (कम्प्यूटर इकाई), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्तिभवन विस्तार, लखनऊ।
- मुख्य अभियन्ता (वितरण), सहारनपुर क्षेत्र, सहारनपुर।
- अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, शामली।
- अधीक्षण अभियन्ता (मुख्यालय एवं नोडल अधिकारी), पा0वि0वि0नि0लि0, मेरठ को वैब-साईट पर अपलोड कराने हेतु।
- उपमहाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-1, शामली।
- उप सचिव (अ0प्र0-04/07)/(गोपन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, पा0वि0वि0नि0लि0, मेरठ।
- प्रबन्ध निदेशक महोदय का कैम्प कार्यालय।
- मै0 एसेन्चर सोल्यूशन प्रा0लि0, न्यू दिल्ली (ई-मेल)।
- संबंधित अधिकारी।
- कम्प्यूटर अनुभाग, पा0वि0वि0नि0लि0, मेरठ।
- वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल।


(अशोक कुमार)

अधिशाली अभियन्ता (एच0आर0)